

भाग III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

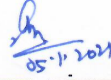
1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	जी नहीं।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	प्रबंधक मार्शल स्मॉल हाइड्रो पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 (2) के अंतर्गत प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि वन परिक्षेत्र सिरमौर के कक्ष क्रमांक पी.एफ-112 रकबा 13.1959 हे० है। वनमण्डलाधिकारी रीवा आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित आवेदित क्षेत्र 13.1959 हे. वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तावित प्रयोजन के उपयोगार्थ वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत अनुशंसित किया गया है। वनमंडलाधिकारी रीवा द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी अनुशंसित है।

तिथि : 05.01.2021
स्थान: रीवा


मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा म.प्र.

Recommendation of CCF

रीवा जिले के वनमण्डल रीवा के वन परिक्षेत्र सिरमौर के कक्ष क्रमांक पी एफ-112 रकवा 13.1959 में जल विद्युत परियोजना निर्माण कार्य किया जाना है। जल विद्युत परियोजना निर्माण कार्य में प्रभावित वनभूमि कक्ष क्रमांक पी एफ-112 रकवा 13.1959 हेक्टेयर व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु वनमंडलाधिकारी रीवा द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी अनुशंसित है।


05-11-2021
मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)